फा.सं.-12027/04/2017-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001, दिनांक: 19.06.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में।

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अब नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च के संबंध में प्रतिपूर्ति की राशि में बढ़ोतरी करके निम्नानुसार स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है-

नराकास के सदस्य कार्यालयों की सं.	प्रति बैठक प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि	वर्ष में दो बैठकों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि
10-50 तक	4500 रू.	9,000 रू.
51-100 तक	6250 रू.	12,500 रू.
101 से अधिक	7500 रू.	15,000 रू.

2. केवल बैंकों तथा केवल उपक्रमों की नराकासों को विगत की भांति बैठकों पर व्यय के लिए प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी जाएगी।
3. यह स्वीकृति आंतरिक वित्त-2, गृह मंत्रालय की दिनांक 11-06-2018 की डायरी सं.-116/रा.भा.II/18/ S.S & F.A (Home) पर दी गई सहमति के अनुसार जारी की जा रही है।
4. उक्त दरें 01 जुलाई 2018 तथा इसके बाद होने वाली बैठकों के लिए प्रभावी होंगी।

संदीप 19/06/18

(संदीप आर्य)

निदेशक (कार्यान्वयन)

प्रतिलिपि:-

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1, हट्मेटस, डलहौजी रोड, नई दिल्ली-110003.
2. आंतरिक वित्त-2, गृह मंत्रालय ।
3. वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय ।
4. राजभाषा विभाग के सभी (08) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार)।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

*****